Volume - 4 (2023)
Special Issue - 2 (April)
RESEARCH HUB
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal
ISSN 2582-9173
Website : www.researchhub.org.in/research-hub !! Email : researchhubjournal@gmail.com

जनजातिय समाज और मानवाधिकार

आकांक्षा बांगर (शोध छात्रा),

हिंदी विभाग

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ, नागपुर

Email.id- bangarakanksha@gmail.com

सारांश-

आज के औद्यौगीकरण और वैश्वीकरण के बदलते इस दौर में जनजातीय समाज में भी तेजी से बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा हैं। और इस बदलाव का मुख्य कारण शिक्षा हैं । शिक्षा के कारण ही हजारों सालों तक मुख्य धारा से बाहर रहा जनजातीय समाज आज नगरों में बसता नजर आ रहा हैं । और आज इस समुदाय का युवा वर्ग भी शिक्षा ग्रहण कर अनेक नगरों में कार्यरत है। शिक्षा ने जनजातीय स्त्रियों और पुरुषों का जीवन ही बदल दिया है। यह बात प्रमाणित हो गई है कि हमारे जीवन को आकार देने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। और इसी माध्यम से जनजातिय समाज की भावी पीढ़ियों को परिवर्तन के लिए तैयार किया जा सकेगा। अत: निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जनजातीय समाज जितना अधिक शिक्षित होगा उतना ही उसका परिवार और समाज भी शिक्षित होगा। हमारे संविधान में अनेक अनुच्छेद जनजाति के उत्थान व कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान और उनकी सामाजिक असमर्थताओं के निराकरण करने के उद्देश्य से उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जनजातीय विकास को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए |

बिज शब्द *- जनजातीय समाज , मानवाधिकार, संवैधानिक अनुच्छेद, नगरीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य।*

प्रस्तावना -

जनजतीय समुदाय को आदिवासी, वनवासी, गिरिजन तथा आदिम समूह आदि अन्य नामों से जाना जाता हैं | ये जनजातियां प्रमुखता से पहाड़ों और जंगलों में निवास करती रही है और अपने अस्तित्व के लिए उसी पर निर्भर रही है। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को 'गिरिजन' अर्थात 'पहाड़ पर रहने वाले लोग' नाम दिया था | इन्हें भारत के मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है | भारत में जनजातियों में मुख्यतः भील, मीणा, संथाल, मुंडा, सहारिया, बोडो, गोंड, आंध, कोलाम, कोरकू आदि जनजातियां है | उन्होंने भारतीय सभ्यता को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है | भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है | आज हम जिसे आदिवासी या वनवासी के नाम से जानते हैं वह प्रकृति की गोद में रहने वाला समुदाय है, जो प्रकृति के साहचर्य में जीवन बसर करता है जहां प्रकृति के दोहन की मनाई हैं | जिन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता हैं । जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नही हैं। जो

अपनी जल, जंगल, जमीन जैसी प्रकृति संरक्षण की बात करता हैं। उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी मानवाधिकार की पक्षधरता हैं।"वैसे तो प्राचीन काल में इनका भूमि पर अधिकार था परंतु धीरे-धीरे आधुनिक सभ्यता ने उन्हें केवल वनवासी भ्रमणक जैसा ही बना दिया तथा इनके भूमि संबंधी अधिकार को छीन लिया"।**1** जनजातिय समाजों की वंचित जनसंख्या हमेशा ही शोषण एवं दमन जैसी प्रक्रियाओं का सामना करती आयी है। तो ऐसे में मानवाधिकारों की चर्चा करना अधिकांशतः एक बौद्धिक प्रयास ही नजर आती है। जहां एक तरफ तो वंचित समाज को हमेशा कानून के पालन की शिक्षा दी जाती है वहीं दूसरी ओर शक्तिशाली समाज कानून का लिहाज किए बिना जनजातीय समाज पर शोषण कर अपने आप को कानून और संविधान से भी बड़ा समझने लगता हैं। ऐसे में मानवाधिकार पर अपनी चिंतन की अभिव्यक्ति दोहरी मानसिकता सी लगती है |

जनजातीय जनसँख्या -

आदिवासी समुदाय को जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में अफ्रीका के बाद भारत का स्थान आता है | भारत की जनजातिय संख्या जो **1981** की जनगणना के अनुसार **5.38** करोड़ थी **1991** में बढ़कर **6.77** करोड़ हो गई | **2011** की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या **10.42** करोड़ है जो कुल जनसंख्या का **8.06 %** है | इस बड़ी जनसंख्या की प्रमुख विशेषता विविधता है | संपूर्ण भारत में **425** जनजातियां निवास करती है जिनमें से **75** को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है।

मानवाधिकारों का हनन -

भारत में आजादी के बाद भी समाज का एक बड़ा वर्ग अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा से आज भी पीड़ित है तो वह है जनजातिय समाज | जनजाति के लोग किस प्रकार बिना किसी गलती के लम्बे काल से अमानवीय स्तर का जीवन जी रहे हैं | वे उत्पीड़न और दासता का जीवन जीने को मजबूर है, भारत में इन जनजातियों को समाज के हाशिये पर रखे जाने का इतिहास पुराना है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार दलित और अनुसूचित जनजातियों के लोग लगातार भेदभाव, बहिष्कार और हिंसा का शिकार रहे हैं | यह भी उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा बनाए कानून एवं नीतियों को संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन उनका कार्य कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये गरीब है, निरक्षर है, अंधविश्वास और रूढ़ियों से ग्रस्त है। "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनके उपर अत्याचार बढ़ रहें है। उनकी खूनखराबी, उनकी झोपड़ियाँ जलाने, उनकी महिलाओं पर बलात्कार करने तथा उन्हें वेश्यावृत्ति में ढ़केलने की प्रवृति का विस्तार हो रहा है। उनकी बिमारियों और उनके कर्जों की राशि में वृद्धि हो रही है, उनका शोषण अत्यधिक बढ़ रहा हैं, उनके लिये न्यूनतम आय की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। और वनवासी बन्धुओं, मजदूरी की मुक्ति का घोषणा पत्र नाटक बनकर रह गयी है।"**2**

शिक्षा का अधिकार -

शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए | प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जाए, शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो | स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े | कृषि, पशुपालन,मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओ का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए | अनुसूचित जनजाति में शिक्षा न केवल दक्षता बढ़ाने का साधन है बल्कि यह

लोकतंत्र में भागीदार बनाने तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की समग्र गुणवत्ता के स्तर को भी सुधारने का एक कारगर साधन है | दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति में शैक्षिक सुधार आशाओं के अनुरूप नहीं हुआ है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का भरसक प्रयास कर रही है | भारत सरकारने शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है |

आर्थिक स्थिति -

आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाए उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाए और स्थानांतरित खेती पर रोक लगाई जाए | उन्हें कृषि के लिए बैल, बीज एवं नवीन यंत्र तथा कुएं आदि बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाए और श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं बिजली की व्यवस्था की जाए | उनका आर्थिक शोषण रोकने हेतु कानून बनाया जाए, उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सके | योगेन्द्र नारायण लिखते है कि ‘‘एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधारभूत ढाँचे की आवश्यकता है, अन्य विकास गतिविधियों की तरह बुनियादी ढाँचे के विकास में भी कई लोगों का हाथ होता है। यह किसी अकेले संस्था या मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। वह विभिन्न संस्थाओं और लोगों की मदद से किसी हद तक समन्वित और एकीकृत कार्यक्रम लागू कर पाता है और इसी पर उसके बुनियादी ढाँचे के विकास की गति निर्भर होती है।”**3** वनों पर आधारित आदिवासियों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है क्योंकि उनके वनसंपदा के ऊपर निर्भर परंपरागत ईंधन, चारा, सूक्ष्म वन उत्पादों को इकट्ठा करने के अधिकारों को भी भारतीय वन नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है|

स्वास्थ्य संबधी अधिकार -

“स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **1981** में अलग से जनजाति विकास योजना सेल बनाया है|”**4** स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंध किया जाए, उनके लिए पोष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके| चेचक, हैजा इत्यादि के टीको का प्रबंध किया जाए, उन्हें स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाए, इनके लिए समय-समय पर अलग-अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए, चलंत अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, स्कूलों पंचायत भवनों एवं युवा ग्रहों में दवा आदि की व्यवस्था की जाए | “जनजातीय स्वास्थ्य के शोचनीय स्तर के लिए बहुत हद तक उनकी निरक्षरता एवं निर्धनता भी जिम्मेदार है आर्थिक समस्याओं के कारण जनजातीय लोग बहुदा स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि इनकी आवश्यकता कहीं न कहीं मुद्राओं की मांग करती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह लोग ऋण लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह समस्या बनी रहती है, निम्न स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति रोजगार नही कर पाता है जिससे निर्धनता बनी रहती है, निर्धनता एवं अशिक्षा के कारण बच्चे भी अधिक उत्पन्न होते हैं और वह भी मजदूरी करने के लिए बाध्य होते हैं और उनका स्वास्थ्य भी निम्न स्तरीय बना रहता है|”**5**

जनजातीय मंत्रालय -

जनजातीय मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य हेतु

अक्टूबर **1999** में एक अलग मंत्रालय बनाया गया जिसे 'जनजातीय मंत्रालय' के नाम से जाना जाता है | यह नया मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से बनाया गया है जो कि अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु सभी नीति आयोजन एवं कार्यक्रमों तथा योजनाओं के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जीवन से संबंधित अधिकारों आजादी समानता व्यक्तिगत गरिमा जिनकी प्रत्यय भूमि संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में दी गई है जो भारतीय न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं कि सुरक्षा करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य है इसकी स्थापना **1933** में की गई मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के महत्वपूर्ण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन वर्गों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की गई समय-समय पर कार्यशाला आयोजित कर इन के अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता हैं।"**6**

बेरोजगारी की समस्या -

संविधान के भाग चार में 'काम पाने का अधिकार' एक मूल अधिकार के रूप में माना गया हैं, किन्तु जनजाति समाज का बहुत बड़ा वर्ग आज भी बेरोजगार है और इसी कारण ये काम की तलाश में दर-दर भटकते रहते हैं और कम वेतन में इन्हे अपने परिवार का गुजारा करना होता हैं। "बेरोजगारी व्यावसायिक शिक्षा की कमी तथा नक्सलियों द्वारा अपने गैंग में शामिल होने के लिए प्रलोभन दिया जाता है शिक्षा की कमी के कारण उन्हें मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है और जिंदगी भर गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करना पड़ता है|"**7** जनजातीय लोगों की जमीन अभी भी चुराई जा रही है उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उनके भविष्य को नष्ट किया जा रहा है | राष्ट्रीय विकास के नाम पर जनजातीय समुदाय के लोगों से बड़ी कीमत वसूली जा चुकी है उदाहरण के तौर पर जिस तरह बड़े - बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित हुए, खानों की खुदाई की गई उससे इस समुदाय के लोगों को जल, जमीन एवं जल से अलग कर विस्थापन को मजबूर कर दिया गया और इस समुदाय के छिन्न-भिन्न होने से इनकी संस्कृति भी प्रभावित हुई | विकास की ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे कुटीर उद्योग की स्थापना हो |

संवैधानिक अधिकार -

हमारा संविधान जिसमें जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है, अपितु देश की समस्त जनता को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार एवं न्याय समान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं | स्वतंत्रता के पश्चात जनजातियों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, इसमें जनजातियों को संविधान के अंतर्गत अनेक संरक्षण प्रदान किए गए हैं ताकि वे अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर ऊंचा कर सके | भारतीय संविधान के अंतर्गत जनजातीय समाज को अनेक संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं जैसे - अनुच्छेद **14, 15,(4), 16, 16(4), 225, 243** घ, **244, 12, 275, 330, 332, 335, 338, 339, 340, 342, 371** है। "अनुच्छेद **46** में अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिरुद्धि के लिए राज्य को निर्देश दिया जाता है जो इस प्रकार है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिरुद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।"**8** भारत के संविधान के अनुच्छेद **366 (25)** में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है।

निष्कर्ष -

जनजातीय समाज जहाँ भी है वहां पेड़-पौधे सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध भूमि है जिस तरह पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है उसी तरह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भविष्य की चिंता किए बिना विकास संभव नहीं है| एक समृद्ध परंपरा, पर्यावरण से जुड़ी जीवन शैली, स्वाभिमानी एवं जुझारू तेवर वाला जनजातीय समाज आज शोध का विषय बन गया है| जनजातीय समाज ने संघर्ष किया है परंतु समझौता नहीं किया| निर्मल कुमार बोस जिन्होंने भारतीय जनजातियों पर अध्ययन किया है, वो कहते है कि "एक समाज से कटा अभावग्रस्त सामुदायिक जीवन होते हुये भी वे प्राकृतिक संसाधनों का यथाशक्ति दोहन करते हैं। भले ही उनके पास सामाजिक संसाधन कुछ भी हों, वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं और इसके लिए स्वयं अपना संसार निर्मित करते है।"**9** भारत में जनजातियों के शोषण के बारे में वर्तमान में कई खबरें सुनाई देती हैं । जिसके कारण जनजाति वर्ग आज भी अपने मानवाधिकार या जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं एवं गरिमापूर्ण जीवन से वंचित है। यह वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाया हैं एवं समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं। आज भारत जहाँ विश्व को नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़ रहा हैं वही भारत के अनेक राज्यों में जनजाति वर्ग अपने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में जनजाति वर्ग आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हैं या अपने मानवाधिकारों से वंचित है। दलित जनजाति और अन्य लोगों के बीच जो खाई निर्मित है वह अपने देश के लिए हितकारी नहीं है। अपने देश में इस प्रकार की फूट न पड़े इसके लिए महात्मा गांधी ने भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर पुरा प्रत्यन्न किया था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

- प्रो. गुप्ता, राजीवः मानवाधिकारों का वैश्विक परिदृश्यः एक मार्क्सीय दृष्टि, मानवाधिकार और राज्य बदलते संदर्भ, उभरते आयाम-आशा कौशिक, पृ. **51,** पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
- सामाजिक न्याय, लोकहित प्रकाशन लखनऊ प्रथम संस्करण **1914,** पृ. **29**
- नारायण,योगेन्द्रः योजना जनवरी **1998** पृ. **3**
- डॉ इशू रितु शाश्वत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्वास्थ्य हेतु प्रयास, कुरुक्षेत्र, अक्टूबर **2008,**पृ. **26**
- डॉ सुरेंद्र कटारिया, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन, कुरुक्षेत्र, अक्टूबर **2008,** पृ. **11**
- एस.पी. मीणा, जनजातीय समस्याएं एवं और मानवाधिकार मानव अधिकार नई दिशाएं, वार्षिक अंक **11, 2014** पृ. **54**
- आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण समस्याएं एवं संभावनाएं पेज **30** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली
- डॉ. एस.पी. मीणा, जनजातियों की समस्याएं एवं मानवाधिकार,मानव अधिकार नई दिशाएं वार्षिकांक **11, 2014,** पृ. **45**
- बोस,निर्मल कुमारः ट्राइबल लाइफ इन इण्डिया, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. **1**